पत्रांक–बि0क0च0आ0–प्र0–03/परीक्षा–22/2020 (खंड–II)–..................

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक–2998/आ0 पटना, दिनांक–9.9.2024

कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की परीक्षा दिनांक–15.09.2024 एवं 19.09.2024 को एक पाली में बापू परीक्षा परिसर, कुम्हरार, पटना में निर्धारित है। **जिला द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदनों के आलोक संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक–15.09.2024 एवं 19.09.2024 को एक पाली में निर्धारित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आयोग के वेबसाइट https//bssc.bihar.gov.in पर अपलोड (Upload) कर दिया गया है।**

संबंधित अभ्यर्थी अपना Registration No एवं जन्मतिथि डाल कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि प्रवेश पत्र का प्रिंट बिल्कुल स्पष्ट हो अर्थात प्रिंट की प्रति धूमित (Faint) न हो।

अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अक्षरशः अनुपालन करेंगे। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट **https//bssc.bihar.gov.in** का सतत अवलोकन करते रहेंगे।

नोट :– कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पद हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके आवेदन को संबंधित जिला द्वारा स्वीकृत/निरस्त करने की कार्रवाई की गयी है। जिला के द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों के आधार पर ही प्रवेश–पत्र जारी किया गया है। अतएव उक्त के संबंध में किसी प्रकार की पृच्छा हेतु वे संबंधित जिला से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सभी जिला द्वारा डाटाबेस के आधार पर अस्वीकृत आवेदनों से संबंधित विवरणी जिला के वेबसाइट एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशित करने के निमित्त आयोग के पत्रांक–2995/आ0, दिनांक–09.09.2024 द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रति संलग्न है।

09.IX.2024

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

बि0क0च0आ0–प्र0–03 / परीक्षा–22 / 2020 (खंड–II)..........2995 / आ0

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

प्रेषक,

सचिव,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया / अरवल / औरंगाबाद / बाँका / बेगुसराय / भागलपुर / भोजपुर / बक्सर / दरभंगा / पूर्वी चम्पारण / गया / जमुई / जहानाबाद / कैमूर / खगड़िया / मुजफ्फरपुर / नालंदा / नवादा / रोहतास / सहरसा / समस्तीपुर / सारण / शेखपुरा / सीतामढ़ी / सीवान / सुपौल / पश्चिम चम्पारण एवं पटना।

पटना, दिनांकः– 9.9.2024

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–186612 / 2019 एवं अन्य समरूप मामलों में दिनांक–18.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में जिला समाहरणालयों के अंतर्गत कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) के पद पर **नियुक्ति की प्रक्रिया में अस्वीकृत आवेदनों की विवरणी जिला के वेबसाईट एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– आयोग का आवश्यक सूचना ज्ञापांक–1555 / आ0, दिनांक–31.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No- 18612/2019 एवं अन्य समरूप मामलों में दिनांक–18.12.2019 को पारित न्यायादेश के संदर्भ में कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के क्रम में जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है। उक्त पद हेतु प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक–15.09.2024 एवं 19.09.2024 को निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदनों को स्वीकृत / निरस्त करने की कार्रवाई जिला स्तर से की गयी है, परन्तु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन को स्वीकृत / निरस्त किये जाने के संबंध में आयोग कार्यालय में पृच्छा की जा रही है। अस्वीकृत आवेदनों की सूची जिला के वेबसाइट / सूचनापट्ट पर यदि अभीतक प्रदर्शित नहीं की गयी हो, तो अविलम्ब जिला के वेबसाइट / सूचनापट्ट पर अस्वीकृत आवेदनों की सूची प्रदर्शित किया जाय, ताकि आयोग कार्यालय में अनावश्यक भीड़ जमा नहीं हो।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

09.IX.2024

सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

D-Parichari/Letter

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. व्यक्तिगत पेन/पेंसिल/व्हाईटनर/कैलकुलेटर/स्लाइड रूल/लॉग टेबुल/ग्राफ पेपर/चार्ट्स या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाइल फोन, ब्लू-टूथ, पेजर, वेयरेबल डिवाईस, स्मार्ट फोन, घड़ी आदि का उपयोग पूर्ण रूपेण वर्जित है। उक्त सामग्रियों का प्रयोग/अपने पास में रखे हुए पाया जाना अनुचित तरीका माना जायेगा एवं आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
2. अभ्यर्थी, उपलब्ध करायी गयी प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक में दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और तत्पश्चात ही प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर कुछ भी लिखना या गोला करना शुरू करेंगे। उत्तर पत्रक पर निर्दिष्ट प्रविष्टियों के अलावे अन्यत्र कुछ भी अंकित नहीं करेंगे या उत्तर पत्रक के साथ किसी भी प्रकार का छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, अन्यथा आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
3. अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर दिये गये प्रविष्टियों को सही ढंग से नहीं लिखते हैं अथवा गलत लिखते हैं या गलत गोला रंगते हैं तो उनके उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी, उनके लिए आवंटित सीट पर ही बैठना सुनिश्चित करेंगे। यदि आवंटित सीट से अलग स्थान पर बैठते हैं, तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
5. अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थान पर ही हस्ताक्षर अंकित करना है। ऐसा नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर ही परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे।
7. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकतानुसार इसे प्रस्तुत कर सकें।
8. वैसे अभ्यर्थी, जो कदाचार या पररूपधारण (**IMPERSONATION**) करते या अनुचित तरीका अपनाते हुए पाये जायेंगे, तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध विधिसम्मत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
9. परीक्षा में आपका आईरिस कैप्चर किया जायेगा।
10. अभ्यर्थियों के लिए केन्द्राधीक्षक या वीक्षक के द्वारा दिये गये सभी निदेशों का पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक अवश्य हीं वीक्षक को लौटा देंगे। यदि प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पत्रक आपके द्वारा लौटाया नहीं गया तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा एवं आपके विरूद्ध विधिसम्मत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
11. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर चप्पल एवं हाफ शर्ट पहनकर आयेंगे। यदि वे जूता, टोपी पहनकर आते हैं तो परीक्षा केन्द्र के बाहर जूता, टोपी खोलकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना होगा।
12. अभ्यर्थी किसी प्रकार का आभूषण (**JWELLERY**) पहनकर नहीं आयेंगे।
13. सामान्य परिस्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व ही पानी पीना/वाशरूम आदि से निवृत हो लें।